भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2072
जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना 2019

2072. डॉ. थोल तिरुमावलवन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना 2019 (एफटीएससी योजना 2019) शुरू होने के बाद दर्ज किए गए मामलों की संख्या का आंकड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त दर्ज कुल मामलों में से निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मामलों के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : विशेष त्वरित न्यायालयों (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स – एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम), जिसमें विशेष पोक्सो (ईपोक्सो) न्यायालय भी सम्मिलित हैं, अक्टूबर 2019 में प्रारंभ की गई थी। ये न्यायालय बलात्संग तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) के अधीन लंबित मामलों के समयबद्ध विचारण और निपटान के लिए समर्पित हैं । इस स्कीम को दो बार बढ़ाया गया है और नवीनतम विस्तार 31 मार्च 2026 तक किया गया है, जिसके अधीन 790 न्यायालयों की स्थापना का उपबंध है। स्कीम के अधीन 1952.23 करोड़ रुपए का

वित्तीय उपबंध है, जिसमें से 1207.24 करोड़ रुपए केंद्रीय भाग के रूप में निर्भया फंड से सीएसएस पद्धति पर व्यय किए जाएंगे। 30.09.2025 तक, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल 773 एफटीएससी**,** जिनमें 400 विशेष पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालय सम्मिलित हैं, क्रियाशील हैं।

उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार (एफटीएससी डैशबोर्ड पर), स्कीम के प्रारंभ से अब तक एफटीएससी में कुल 5,94,300 मामले दर्ज किए गए हैं। कुल 3,50,685 मामलों का निपटान 30.09.2025 तक किया जा चुका है और 2,43,615 मामले लंबित हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कार्यरत एफटीएससी, विशेष पोक्सो न्यायालयों की संख्या, तथा स्कीम के प्रारंभ से दर्ज और निपटाए गए मामलों और 30.09.2025 तक लंबित मामलों का विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है।

जनवरी 2023 से सितंबर 2025 तक, कुल 8,689 मामलों का निपटान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनसीसी), 2023 की धारा 346(1) के परंतुक (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 309(1) परंतुक) के अधीन विचारण के लिए आज्ञापित दो माह की समय-सीमा के भीतर किया गया है। जनवरी 2023 से दो माह की समय-सीमा के भीतर निपटाए गए मामलों का राज्यवार विवरण **उपाबंध-2** में दिया गया है।

****

उपाबंध-1

30.09.2025 तक विशेष पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित क्रियाशील एफटीएससी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	एफटीएससी (ई-पोक्सो सहित)	दर्ज किए गए मामले	स्कीम के प्रारंभ से निपटाए गए मामले	30 सितंबर 2025 तक लंबित मामले
1	आंध्र प्रदेश	16	14512	8170	6342
2	असम	17	16094	9617	6477
3	बिहार	54	41871	18937	22934
4	चंडीगढ़	1	623	413	210
5	छत्तीसगढ़	15	8299	6807	1492
6	दिल्ली	16	6446	2931	3515
7	गोवा	1	279	138	141
8	गुजरात	35	22710	17575	5135
9	हरियाणा	18	13092	8548	4544
10	हिमाचल प्रदेश	6	2121	1516	605
11	जम्मू-कश्मीर	4	832	338	494
12	कर्नाटक	30	20200	14969	5231
13	केरल	55	33465	27164	6301
14	मध्य प्रदेश	67	44500	33621	10879
15	महाराष्ट्र	36	54725	21095	33630
16	मणिपुर	2	256	212	44
17	मेघालय	5	1899	771	1128
18	मिज़ोरम	3	376	286	90
19	नागालैंड	1	132	73	59
20	ओडिशा	44	30775	21646	9129
21	पुडुचेरी	1	414	184	230
22	पंजाब	12	7097	5627	1470
23	राजस्थान	45	25243	20324	4919
24	तमिलनाडु	20	18752	10617	8135
25	तेलंगाना	36	20965	12115	8850
26	त्रिपुरा	3	748	527	221
27	उत्तराखंड	4	3117	2004	1113
28	उत्तर प्रदेश	218	189601	94775	94826
29	पश्चिमी बंगाल	8	6042	571	5471
30	झारखंड*	0	9114	9114	0
	कुल	**773**	**5,94,300**	**3,50,685**	**2,43,615**

***** झारखंड राज्य ने 07.07.2025 को अपने पत्र के माध्यम से इस स्कीम से बाहर निकलने का निर्णय लिया। स्कीम के अधीन मई 2025 तक राज्य में 22 एफटीएससी क्रियाशील थे, जिन्होंने स्कीम प्रारंभ से कुल 9,114 मामलों का निपटान किया ।

उपाबंध-2

जनवरी 2023 से सितंबर 2025 के दो माह की अवधि में निपटाए गए मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	दो माह की अवधि में निपटाए गए मामले			कुल
		2023	2024	2025 (सितंबर 2025 तक)	
1	आंध्र प्रदेश	374	209	158	741
2	असम	507	522	525	1554
3	बिहार	296	329	303	928
4	चंडीगढ़	1	1	0	2
5	छत्तीसगढ़	33	38	25	96
6	दिल्ली	0	10	15	25
8	गोवा	2	0	0	2
7	गुजरात	70	43	70	183
9	हरियाणा	50	70	38	158
10	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	1
11	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0
12	झारखंड*	224	277	135	636
13	कर्नाटक	135	111	82	328
14	केरल	510	493	84	1087
15	मध्य प्रदेश	328	487	142	957
16	महाराष्ट्र	126	118	10	254
17	मणिपुर	1	0	0	1
18	मेघालय	3	3	0	6
19	मिज़ोरम	1	0	1	2
20	नागालैंड	4	2	0	6
21	ओडिशा	153	314	257	724
22	पुडुचेरी	3	0	0	3
23	पंजाब	64	39	51	154
24	राजस्थान	131	193	112	436
25	तमिलनाडु	133	14	25	172
26	तेलंगाना	4	8	2	14
27	त्रिपुरा	2	14	7	23
28	उत्तर प्रदेश	73	47	38	158
29	उत्तराखंड	2	0	1	3
30	पश्चिमी बंगाल	12	14	9	35
	कुल	**3242**	**3357**	**2090**	**8689**

***** झारखंड राज्य ने 07.07.2025 के पत्र द्वारा स्कीम से बाहर होने की सूचना दी थी । मई 2025 तक राज्य में 22 एफटीएससी कार्यरत थे।

****